46/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2016 अनवानी सुरजीसिंह पुत्र मघरसिंह निवासी कालोनी रोड, बाघला हस्पताल के पास बंद गली मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा बनाम तहसीलदार, श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुरजीत सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुरजीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2015 के द्वारा तहसीलदार श्रीकरनपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. ग्राम पंचायत 25 एफ के इन्तकाल रजिस्टर में दर्ज एक इन्तकाल जिसका न0 311 दिनांक 06.08.2013 है को दर्ज करते समय जो जरूरी कागजात सरकारी रिकार्ड में लगाए गये है उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।
2. इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी के रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज की गई रिर्पोट की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।
3. राजस्थान राज्य में व्यक्ति की मृत्यु के बाद यदि वह व्यक्ति राजस्थान राज्य का वर्तमान निवासी नही होकर किसी अन्य राज्य का निवासी हो तब राज्य के राजस्व रिकार्ड में उसकी जायदाद को उसके वारिसो के नाम जिन नियमों के तहत दर्ज किया जाता है, उन नियमों का वर्णन करते हुए किसी अन्य राज्य की वसियत एवं बिना वसियत वारिसाना दोनो परिस्थितियों के संदर्भ मे सूचना देवें।
4. यदि किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड वसियत, जिसको उस राज्य के सम्बंधित माल रिकार्ड के अतिरिक्त राजस्थान राज्य के जमीनी जायदाद का वर्णन नही हो, तब भी उक्त वसियत के आधार पर राजस्थान में जमीन का इन्तकाल दर्ज हो सकता है। यदि हो सकता है तो नियम की जानकारी देवें।
5. राजस्थान राज्य में किसी अन्य राज्य से जारी वारिसनामा, किन अधिकारियों/अफसरो द्वारा जारी किये जाने पर मान्य होता है, उन अधिकारियों के पद नाम की सूचना देवे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार करनपुर ने तथ्यों को छुपाते हुए गुमराह बाते लिखकर जबाब भेजा है जो सूचना उसके द्वारा चाही गई है वह उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार, श्रीकरनपुर ने अपना प्रतिवेदन सं0 31 दिनांक 06.04.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना का उत्तर उनके कार्यालय के पत्र सं0 2638 दिनांक 01.02.2016 के द्वारा निम्नानुसार भिजवाया गया हैः–

1. ग्राम पंचायत 25 एफ के इन्तकाल सं. 311 दर्ज में आवश्यक मूल कागजात मु.सं. 268/2014 में अनुसंधान हेतु पुलिस थाना केसरीसिंहपुर को तहसील पत्रांक 703 दिनांक 18.03.2015 व 715 दिनांक 23.08.2015 द्वारा भिजवाये हुये है। अतः उसकी प्रति दी जानी संभव नही है।
2. उक्त ईन्तकाल दर्ज करते समय ईन्तकाल की परत पर ही ईन्तकाल जांच सम्बन्धी कार्यवाही की हुई है जो कि पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में है।
3. उक्त कानूनी प्रावधानों की जानकारी आप कानूनी पुस्तकों से ले सकते है।
4. उक्त कानूनी प्रावधानों की जानकारी आप कानूनी पुस्तकों से ले सकते है।
5. उक्त कानूनी प्रावधानों की जानकारी आप कानूनी पुस्तकों से ले सकते है।

मूल रिकार्ड अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, केसरीसिंहपुर में होने के कारण प्रार्थी को उपलब्ध सूचनायें भिजवा दी गई थी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के प्रास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना से संबंधित अभिलेख तहसीलदार करनुपर के पास न होकर बल्कि थानाथाधिकारी पुलिस थाना केसरीसिंहपुर के पास अनुसंधान में है। शेष बिन्दुओ का संबंध कानूनी जानकारी से है। इस प्रकार तहसीलदार, श्रीकरनपुर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 01.02.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

709-10
31/3/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर